प्रपत्र –5

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

संशोधित डिक्री

उनवान

1.अशोक पुत्र सुवालाल जाति मीणा निवासी खोहल्या तहसील उनियारा जिला टोंक

2.पप्पू पुत्र सुवालाल जाति मीणा निवासी खोहल्या तहसील उनियारा जिला टोंक

– वादीगण

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक

2..तहसीलदार तहसील उनियारा मु0 अलीगढ जिला टोंक

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :– 8 वर्ष 2010

वादीगण की ओर से श्री बी0एल0कासलीवाल प्रतिवादी की और से पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार की उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 4.10.2016 को श्री सुभाषचन्द शर्मा, आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वे आराजी ख0न0 227/813 रकबा 0.33 है0 मे से 0.25 हैक्टर वाके ग्राम परवन वादीगण की खातेदारी मे दर्ज करे तथा वादीगण के पूर्वज के खातेदारी मे दर्ज आ0ख0न0 232/812 रकबा 0.25 हैक्टर वाके ग्राम परवन तहसील उनियारा को सि0चक मे दर्ज करे। इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करे। फरिकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 4 माह 10 सन् 2016 को जारी की गई।

उप खण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
प्रा0पत्र संख्या /2016
अशोक कुमार बनाम राजस्थान सरकार
आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी.पी.सी.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनि यल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस ह... के तामील में जारी
4.10.2016	पत्रावली पेश हुयी । वकील प्रार्थी ने प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा वाद संख्या 8/2010 ब उनवान अशोक कुमार बनाम राजस्थान सरकार राजस्व लोक अदालत मे दिनांक 9.7.2015 को निर्णय किया गया है, जिसमे वादग्रस्त आराजी ग्राम परवन 227/813 रकबा 0.33 है0 वाके ग्राम परवन तहसील उनियारा मे से 0. 25 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है तथा वादी की खातेदारी मे दर्ज ख0न0 232/812 को सिवायचक करने के आदेश प्रदान किये गये थे। परन्तु लिपिकीय त्रूटी से निर्णय व डिक्री मे ग्राम परवन के ख0न0 232/812 के स्थान पर ख0न0 832 / 812 व दूसरे स्थान पर ख0न0 227/812 दर्ज कर दिये गये, जबकि उक्त नम्बर वादी के खातेदारी मे नही है। न्यायालय की मंशा भी वादी की खातेदारी मे दर्ज आराजी ख0न0 232/812 को ही सिवायचक घोषित किये जाने की थी। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी वकील की ~~को भी~~ बहस सुनी । बहस पर गौर किया गया। पावली तथा निर्णय व डिक्री का अवलोकन करने से पाया गया कि निर्णय व डिक्री मे सहवन/ लिपिकीय त्रूटी से ही ख0न0 232/812 के स्थान पर 832/812 व 227/812 दर्ज हुआ है। उक्त वर्णित गलती लेखनीय त्रूटी आकस्मिक भूल व लोप के कारण हुयी है। जिसे निर्णय व डिक्री मे संशोधन कर संशोधित किया जाकर संशोधित निर्णय एवं डिक्री जारी किया जाना न्यायहित मे उचित एवं आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र एवं निर्णय व डिक्री मे जहां जहां पर भी ख0न0 832/812 व 227/812 दर्ज हुआ है, उसके स्थान पर लाल स्याही से 232/812 अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। संशोधित डिक्री जारी हो। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल मूल वाद हो। उप खण्ड अधिकारी उनियारा	

Scanned by CamScanner

नकल जमाबन्दी सम्वत 2033-2036 बाबत ग्राम पटवन मे सायिक आराजी खसरा 62 व 74/2 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा भूरा पुत्र देवा कोम मीना सा. खेड़ापा खातेदार दर्ज है जिसके हाल नम्बर निम्न प्रकार बने है

हाल		सायिक	
ख.नं.	रकबा	ख.नं.	रकबा
226	0-39	72 मी	5 बीघा 2 बिस्वा
227	0-58	74/2 मी	
227/813	0-33	74 मी	14 बिस्वा
232/812	0-25	74 मी	—
232/815	1-18	74 मी	—

नकल जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 बाबत ग्राम पटवन मे हाल ख.नं. $\frac{226}{0-39}$, $\frac{227}{0-58}$ व $\frac{232/812}{0-25}$ कुल किता 3 कुल रकबा 1-22 है भूरा पुत्र देवा कोम मीना सा. खेड़ापा खातेदार दर्ज है पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा ट्रेस पुर्ती 3 के अनुसार ख.नं. 226, 227 के सटवा ही ख.नं. 227/813 है। उसके बाद ख.नं. 232/812 है जो वादीगण के पूर्वज की खातेदारी मे है। ख.नं. 227/813 को सिवाय चक मे दर्ज किया गया है रिपोर्ट पटवारी व ILR के बादी ने अपनी सहमति दी है कि ख.नं. 227/813 रकबा 0-33 मे से 0-25 खातेदारी मे डाल दी जावे व ख.नं. 832/812 रकबा 0-25 सिवाय मे दर्ज कर दी जावे) ऐसा किये जाने

उप ... अधिकारी
... टोंक

के राजस्व रिकॉर्ड में प्रभावित नहीं होता क्योंकि राजस्व रिकार्ड में खसरा नं 227/813 पर भी अतिक्रमण दर्ज है, किसी भी वादी का हक प्रभावित अन्य काश्तकार का हक भी प्रभावित नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुये वादीगण का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित है। अतः आदेश दिया जाता है कि उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वो आराजी खसरा 227/813 रकबा 0.25 हेक्टर में से 0-25 हेक्टर वादीगण को खातेदारी में दर्ज करे तथा वादीगण के पूर्वज के खातेदारी में दर्ज आराजी खसरा 227/812 रकबा 0-25 हेक्टर वाके ग्राम पारवन तहसील उनियारा को रिकॉर्ड में दर्ज करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तकमील के नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

प्रपत्र –5

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र ग्रम पंचायत रूपपुरा

उनवान

1.अशोक पुत्र सुवालाल जाति मीणा निवासी खोहल्या तहसील उनियारा जिला टोंक
2.पप्पू पुत्र सुवालाल जाति मीणा निवासी खोहल्या तहसील उनियारा जिला टोंक

– वादीगण

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक
2..तहसीलदार तहसील उनियारा मु0 अलीगढ जिला टोंक

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :– 8 वर्ष 2010

वादीगण की ओर से श्री अशोक प्रतिवादी की और से पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार की उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 9.7.2015 को श्री सुभाषचन्द शर्मा, आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वे आराजी ख0न0 227/813 रकबा 0.33 है0 मे से 0.25 हैक्टर वाके ग्राम परवन वादीगण ,की खातेदारी मे दर्ज करे तथा वादीगण के पूर्वज के खातेदारी मे दर्ज आ0ख0न0 227/812 रकबा 0.25 हैक्टर वाके ग्राम परवन तहसील उनियारा को सि0चक मे दर्ज करे। इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करे। फरिकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 9 माह 7 सन् 2015 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner